समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील 1283-I/07

श्रीमति राजाबेटी पति रतनलाल स्वर्णकार,
साकिन सिविल लाईन्स–2 सागर,
तहसील व जिला सागर (म0प्र0) ....अपीलार्थी

//विरूद्ध//

म0प्र0 शासन ....प्रतिअपीलार्थी

द्वितीय अपील अंतर्गत् धारा 47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

उपरोक्त अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्रथम अपील कमांक 415/बी/105/वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनॉक 16/05/2007 (न्यायालय जिला पंजीयक सागर के प्र0क्र0 338/बी–105/वर्ष 1998–99 में पारित आदेश दिनॉक 05.03.2003 के उपरांत) से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती है:–

1. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि अपीलार्थी के विरूद्ध कमी मुद्रांक का प्रकरण दर्ज किया जाकर सूचना पत्र भेजा गया जिसमें अपीलार्थी की ओर से उसके पति रतनलाल स्वर्णकार द्वारा न्यायालय में उपस्थिति दर्ज की और पेशी बढा दी गयी। तद्उपरांत प्रकरण में पेशी नहीं दी गई पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होना बताया गया बाद में जानकारी लेने पर प्रकरण में स्थल निरीक्षण हेतु रीडर द्वारा जानकारी दी गयी इसी मध्य अपीलार्थी के पति जो प्रकरण में उपस्थित थे जिन्हे प्रकरण की पूरी जानकारी थी लंबी बीमारी से ग्रस्त रहे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पुनः कोई सूचना पत्र दिये बिना मनमाने रूप से एकपक्षीय प्रतिवेदन लेकर बिना स्थल की जॉच किये अधिक से अधिक कमी मुद्रांक निकालते हुये आदेश पारित कर दिया जिसकी वसूली हेतु नोटिस लगभग 1 वर्ष 8 माह वाद अपीलार्थी को प्राप्त हुआ तो विधिवत् जानकारी लेकर, आदेश की प्रमाणित प्रति निकलवाकर अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने इस

क्रमशः 2

राजाबेटी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1283—एक / 07 जिला —सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.2.14 समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव एवं आवेदिका श्रीमती राजाबेटी पति श्री रतनलाल स्वर्णकार निवासी सिविल लाइन्स —2, तहसील व जिला सागर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । सदस्य	
समय दोपहर 3.00 बजें	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव एवं आवेदिका श्रीमती राजाबेटी पति श्री रतनलाल स्वर्णकार निवासी सिविल लाइन्स —2, तहसील व जिला सागर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । सदस्य	
शाम 5.00 बजे	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव एवं आवेदिका श्रीमती राजाबेटी पति श्री रतनलाल स्वर्णकार निवासी सिविल लाइन्स —2 तहसील व जिला सागर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (अशोक शिवहरे) सदस्य	